

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3532
उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026
19 श्रावण, 1948 (शक)

राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में दीर्घकालिक रक्तियां

3532. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी 23 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) में "सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर" (खेल विज्ञान कर्मियों) के स्वीकृत और भरे गए पदों की कुल संख्या कितनी है और वर्ष 2025-26 के लिए एनसीएसएसआर के अंतर्गत कितनी निधि वर्तमान में अप्रयुक्त है;

(ख) कथित तौर पर भारतीय खेल प्राधिकरण में 45 प्रतिशत दीर्घकालिक रक्तियों-विशेषरूप से टारगेट ओलंपिक पोटियम स्कीम (टॉप्स) विकास समूह के अंतर्गत बढ़िया प्रदर्शन करने वाले डायरेक्टर और बायोमैकेनिस्टों के पदों के खाली रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पारिश्रमिक में अधिकतम सीमा निर्धारित करने से भर्ती में व्यवधान होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) प्रशिक्षण केंद्रों में खेल मनोवैज्ञानिकों और पोषण विज्ञान विशेषज्ञों की वास्तविक संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए विकेंद्रीकृत चिकित्सा समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाते हुए अल्पकालिक संविदात्मक भर्ती के स्थान पर संस्थागत रूप में एक स्थायी खेल विज्ञान कैंडर की स्थापना की प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ) 23 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) में खेल विज्ञान कर्मियों के स्वीकृत पदों और वर्तमान संख्या का विवरण क्रमशः 384 और 211 है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एनसीएसएसआर निधियों की अव्ययित शेष राशि रु. 21,471/- है।

टीओपीएस सहित विभिन्न स्कीमों के तहत उच्च-प्रदर्शन खेल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और एथलीटों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए लागू भर्ती नियमों के अनुसार शेष रिक्तियों पर भर्तियां की जाती हैं।

साई ने सातवे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों को लागू किया है। तदनुसार, पारिश्रमिक केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप है और पारिश्रमिक के कारण भर्ती में कोई बाधा नहीं आती है।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) में विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियमों को हाल ही में संशोधित किया गया है। विभिन्न पदों पर भर्तियां संशोधित भर्ती नियमों और लागू प्रक्रियाओं द्वारा शासित होती है। साई अर्हता प्राप्त खेल विज्ञान एसोसिएट्स के नियोजन, प्रदर्शन विश्लेषकों की भर्ती और समझौता ज्ञापनों के माध्यम से प्रमुख चिकित्सा, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करके अपने खेल विज्ञान ढांचे को भी सुदृढ़ कर रहा है। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ के साई प्रशिक्षण केंद्रों/खेलो इंडिया केंद्रों में मनोवैज्ञानिक और पोषण विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं।
